

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 432/2016/चार/ब- /

भोपाल, दिनांक 01 /04/2016

प्रति,

समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी,

मध्यप्रदेश ।

विषय:--वर्ष 2016-2017 बजट के लिये आवंटनों की संसूचना ।

संदर्भ:-- वित्त विभाग का परिपत्र क्र. 1949/आर 1133/चार/ब-1/09, दिनांक 5.11.12

---:-

मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2016 पारित किया गया है ।

2. उपरोक्त आवंटन निम्न शर्तों के अधीन किया जाता है:--

- I. मध्य प्रदेश वित्त संहिता के नियम 118 अनुसार वित्तीय वर्ष की समग्र आवश्यकता का अनुमान लगाने के पश्चात् ही उपलब्ध बजट आवंटन अनुसार सामग्री के क्रय करने की कार्यवाही की जानी चाहिये। अतः सामग्री के क्रय के लिये बजट नियंत्रण अधिकारियों को उपलब्ध कराये जा रहे कुल अनुदान का पुनरावंटन संबंधित आहरण अधिकारी को 15 दिवस के भीतर किया जाये जिससे वह तदनुसार सामग्री क्रय की कार्यवाही कर सके।
- II. व्यय करते समय शासन के मितव्ययता संबंधी समय-समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाये। कोई भी व्यय किसी भी परिस्थिति में बजट आवंटन से अधिक न किया जावे।
- III. केन्द्र क्षेत्र, केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाओं में केन्द्र से धनराशि के प्राप्ति के पश्चात् ही केन्द्रांश तथा समतुल्य राज्यांश का आहरण कोषालय से किया जाना चाहिये। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 से केन्द्र प्रवर्तित एवं केन्द्र क्षेत्रीय योजनाओं की संरचना में परिवर्तन किया गया है। भारत सरकार से परिवर्तित संरचना प्राप्त होने तथा राज्य शासन स्तर पर परिवर्तित संरचना सक्षम वित्तीय समिति द्वारा अनुमोदित होने के उपरांत ही इन योजनाओं की राशि आहरित की जाए। जिन योजनाओं /कार्यक्रमों में प्रतिपूर्ति के आधार पर राशि प्राप्त होती है, राशि व्यय होने के दो माह के अंदर उसकी प्रतिपूर्ति सुनिश्चित कराई जावे।
- IV. बजट के कुछ शीर्षों में प्रावधान विभिन्न विकास उपकरणों से होने वाली आय से निर्मित विकास एवं कल्याण निधियों से धनराशि अंतरित होने की अपेक्षा में किया गया है। ऐसे मामलों में निधियों में धनराशि अंतरित होने के उपरांत ही आवंटन विमुक्त किया जावेगा। जिन क्षेत्रों /योजनाओं पर विभिन्न निधियों से उपलब्ध धनराशि /बजट प्रावधान का व्यय किया जाना है उनमें वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1156/चार/ब-1/, दिनांक 28.10.83 एवं क्रमांक 290/चार/ब-1/86 20.3.86 में निहित निर्देशों के अनुसार इस बाबत वित्तीय स्वीकृति जारी करने के लिये आवश्यक प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजे जायें।


10
01/04/16

- V. बजट अनुमानों में अपरीक्षित आयोजना मदों में रखे गये प्रावधान के विरुद्ध व्यय मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र 81/आर 1703/चार/ब-1/2011, दिनांक 18.01.2012 में उल्लेखित सक्षम वित्तीय समिति /वित्तीय व्यय समिति/परियोजना परीक्षण समिति के प्रस्ताव एवं सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत प्रशासकीय स्वीकृति की सीमा के अंदर ही व्यय किया जावे ।
3. अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को जो आवंटन दिया जायेगा, उसे आयुक्त, कोष एवं लेखा के सर्वर पर प्रविष्ट किया जायेगा।
 4. नाबार्ड से वित्त पोषित योजनाओं के अंतर्गत ऋण राशि के वितरण हेतु व्यय के लेखे प्रत्येक माह की 20 तारीख तक प्रेषित किया जावे।
 5. राजस्व आयोजना मद अंतर्गत राज्य शासन की योजनाएँ जो शत प्रतिशत राज्य के स्वयं के संसाधनों पर आश्रित हैं उनके बजट अनुमानों में उल्लेखित राशि में से 10 प्रतिशत कटौती कर शेष राशि का आवंटन उपलब्ध कराया जा रहा है ।
 6. आयोजनेतर मद के अंतर्गत निम्नानुसार मदों में कटौती कर शेष राशि का आवंटन उपलब्ध कराया जा रहा है:—

स0क्र0	मद	कटौती प्रतिशत में
1	22-003 कार्यालय फर्नीचर क्रय	20
2	22-008 अन्य आकस्मिक व्यय	30
3	22-013 कार्यालय उपकरण क्रय	20
4	23-001 नवीन वाहन का क्रय	20
5	26 सेमिनार, वर्कशॉप, कांफेंस	30
6	31-006 सफाई व्यवस्था	10
7	31-007 परिवहन व्यवस्था	10
8	33-002 मशीन एवं उपकरण का अनुरक्षण	20
9	33-003 वाहन अनुरक्षण	20
10	33-006 फर्नीचर अनुरक्षण	20
11	42 सहायक अनुदान	10
12	51 अन्य प्रभार	30

7. प्रशासकीय विभाग/बजट नियंत्रण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि गत वित्तीय वर्ष के लंबित देयकों के भुगतान सहित इस वर्ष के सभी व्यय जारी किए गए आवंटन की सीमा के अंतर्गत ही किये जाये । किसी भी स्थिति में अतिरिक्त आवंटन /बजट प्रावधान की प्रत्याशा में कोई देनदारी अथवा कार्य नहीं किया जाये ।
8. बजट संबंधी विस्तृत मांगवार पुस्तिकाएं www.finance.mp.gov.in/ पर उपलब्ध हैं।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(उपेन्द्र शर्मा)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, मध्यप्रदेश शासन-----....
---विभाग, भोपाल की ओर अग्रहित कर अनुरोध है कि संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा जारी किये जा रहे व्यय पर विभाग स्तर पर भी नियंत्रण रखा जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि बजट नियंत्रण अधिकारी वर्ष के दौरान आवंटन का उपयोग ज्ञाप में दिये गये निर्देशों के अनुसार करें।
2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल ।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी सह आयुक्त, कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, भोपाल ।
4. वित्तीय सलाहकार अनुसूचित जाति/ जन जाति विभाग भोपाल
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रहित ।

ND
01/04/16

(उपेन्द्र शर्मा)
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग